रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261452
SG-DL-E-04032025-261452

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 428
No. 76] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946 [N. C. T. D. No. 428

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा. सं. 11/12/2024/गृह पुलिस–II/369 से 377.—चूंकि, अधोहस्ताक्षरी यह समीचीन समझते हैं कि कमजोर गवाहों को किसी भी प्रकार की धमकी और भय से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गवाह संरक्षण योजना लागू की जाएगी।

और चूंकि, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी गवाह संरक्षण योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

अतः अब, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(क) इस योजना को **''दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2025''** कहा जाएगा।

(ख) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।

भाग–I

2. परिभाषाएँ :

क) ''**संहिता**'' से तात्पर्य है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023;

ख) ''**गवाह की पहचान छिपाना**'' का तात्पर्य ऐसी शर्त से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम, पता और अन्य विवरण प्रकाशित करने या प्रकट करने पर रोक लगाती है, जिससे जांच, पूछताछ, परीक्षण और परीक्षण के बाद के चरण के दौरान गवाह की पहचान हो सकती है; गवाह का नाम सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता है।

ग) ''**सक्षम प्राधिकारी**'' से तात्पर्य प्रत्येक जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति से है, जिसमें जिले के पुलिस प्रमुख सदस्य तथा जिले के अभियोजन प्रमुख सदस्य सचिव होते हैं।

घ) ''**परिवार के सदस्य**'' में गवाह के माता–पिता / अभिभावक, पति / पत्नी, सहजीवन साथी, भाई–बहन, बच्चे, पोते–पोतियां शामिल हैं;

ड.) ''**प्रपत्र**'' से तात्पर्य इस योजना से संलग्न "गवाह संरक्षण आवेदन पत्र" से है;

च) ''**बंद कमरे में कार्यवाही**'' से तात्पर्य ऐसी कार्यवाही से है जिसमें सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति देता है जिनका साक्षी संरक्षण आवेदन पर सुनवाई और निर्णय करते समय या न्यायालय में गवाही देते समय उपस्थित रहना आवश्यक हो;

छ) ''**लाइव लिंक**'' का तात्पर्य लाइव वीडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत कोई गवाह, मामले में गवाही देने या सक्षम प्राधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए अदालत कक्ष में शारीरिक रूप से उपस्थित न पाए;

ज) ''**ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन**'' में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रसारण और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग और ऐसे अन्य साधन शामिल होंगे, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है; (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (1) (क))

झ) ''**गवाह संरक्षण उपायों**'' से तात्पर्य योजना के खंड 7, भाग–III, भाग–IV और भाग V में वर्णित उपायों से है ।

ञ) ''**अपराध**'' से तात्पर्य उन अपराधों से है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय हैं और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 से 79 के भी अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं।

ट) ''**धमकी विश्लेषण रिपोर्ट**'' का तात्पर्य है गवाह या उसके परिवार के सदस्यों को खतरे की गंभीरता तथा विश्वसनीयता के संबंध में मामले की जांच करने वाले जिले के पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट से है। इसमें गवाह या उसके परिवार के जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को होने वाले खतरों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल होंगे, साथ ही यह भी विश्लेषण किया जाएगा कि धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के पास धमकियों क्रियांवित करने का इरादा, मकसद और संसाधन हैं या नहीं।

यह मामले में उठाए जाने वाले विशिष्ट गवाह संरक्षण उपायों का सुझाव देने के अलावा खतरे की धारणा को भी वर्गीकृत करेगा;

ठ) ''**गवाह**'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास किसी अपराध के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(घ) में यथा उपबंधित सूचना या दस्तावेज है;

ड) **''गवाह संरक्षण आवेदन''** से तात्पर्य गवाह द्वारा गवाह संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए उसके सदस्य सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया आवेदन से है। इसे गवाह, उसके परिवार के सदस्य, उसके विधिवत नियुक्त वकील या संबंधित जांच अधिकारी/थाना प्रभारी/उप–संभागीय पुलिस अधिकारी/जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है;

ढ) **''गवाह संरक्षण निधि''** से तात्पर्य इस योजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए व्यय को वहन करने के लिए बनाई गई निधि से है;

ण) **''गवाह संरक्षण आदेश''** का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से है जिसमें गवाह संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपायों का विवरण दिया गया हो।

त) **''गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ''** से तात्पर्य दिल्ली पुलिस के एक समर्पित प्रकोष्ठ से है जो गवाह संरक्षण आदेश को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

भाग–II

3. खतरे की आशंका के अनुसार गवाहों की श्रेणियाँ :

श्रेणी 'क': जहां जांच/पूछताछ/परीक्षण के दौरान या उसके पश्चात् गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो।

श्रेणी 'ख': जहां जांच/पूछताछ/परीक्षण के दौरान या उसके पश्चात् गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो।

श्रेणी 'ग': जहां धमकी सामान्य है तथा जांच/पूछताछ/परीक्षण के दौरान या उसके पश्चात् गवाह या उसके परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या डराने–धमकाने की है।

4. राज्य गवाह संरक्षण निधि :

(क) एक ऐसी निधि होगी, जिसका नाम गवाह संरक्षण निधि होगा, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान होने वाले व्यय तथा अन्य संबंधित व्यय को पूरा किया जाएगा।

(ख) गवाह संरक्षण निधि में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

i) राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजटीय आवंटन;

ii) गवाह संरक्षण निधि में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा जमा किए जाने हेतु लगाए गए/आदेशित लागत की राशि की प्राप्ति;

iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त परोपकारी/धर्मार्थ संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान ।

iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत योगदान की गई धनराशि।

(ग) उक्त निधि का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन गृह विभाग द्वारा किया जाएगा।

5. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करना :

इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, उसके सदस्य सचिव के माध्यम से सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

6. आवेदन प्रक्रिया :

(क) जब भी सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होगा, तो वह संबंधित पुलिस उप–मंडल के प्रभारी, उप–मंडल पुलिस अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगने के लिए तत्काल आदेश पारित करेगा।

(ख) आसन्न धमकी के कारण मामले की तात्कालिकता के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी आवेदन के लंबित रहने के दौरान गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की अंतरिम सुरक्षा के लिए आदेश पारित कर सकता है। बशर्ते कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को गंभीर और आसन्न धमकी के मामले में पुलिस को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने से कोई नहीं रोकेगा।

(ग) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए शीघ्रता से तैयार की जाएगी और यह आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच जानी चाहिए।

(घ) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट खतरे की धारणा को वर्गीकृत करेगी और साथ ही इसमें गवाह या उसके परिवार को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने हेतु सुझावात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं ।

(ड.) गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय, सक्षम प्राधिकारी गवाह और/या उसके परिवार के सदस्यों/नियोक्ताओं या उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव न हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (1) (ए) में परिभाषित ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से भी बातचीत करेगा ताकि गवाह की सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जा सके।

(च) गवाह संरक्षण आवेदन पर सभी सुनवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए बंद कमरे में की जाएगी।

(छ) पुलिस प्राधिकारियों से धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश को दिल्ली पुलिस के गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ या परीक्षण न्यायालय द्वारा क्रियांवित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सभी गवाह संरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस आयुक्त पर होगी। यद्यपि, पहचान बदलने और/या पुनःस्थापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा क्रियांवित किया जाएगा ।

(झ) गवाह संरक्षण आदेश पारित होने पर, गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ञ) यदि सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि गवाह संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है या इस संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और परीक्षण पूरा होने पर, संबंधित पुलिस उप–विभाग के प्रभारी, उप–विभागीय पुलिस अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त से एक नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगाई जाएगी।

7. <u>सुरक्षा उपायों के प्रकार :</u>

गवाहों की सुरक्षा के लिए आदेशित उपाय खतरे के अनुपात में होंगे और एक निश्चित अवधि के लिए होंगे जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी। इसमें निम्न शामिल हैं :

(क) यह सुनिश्चित करना कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान गवाह और आरोपी आमने–सामने न आएं;

(ख) मेल और टेलीफोन कॉल की निगरानी;

(ग) गवाह का टेलीफोन नंबर बदलने या उसे एक असूचीबद्ध टेलीफोन नंबर आवंटित करने के लिए टेलीफोन कंपनी के साथ व्यवस्था करना;

(घ) गवाह के घर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना जैसे सुरक्षा दरवाजे, क्लोज सर्किट टेलीविजन, अलार्म, बाड़ लगाना आदि;

(ड.) गवाह को उसके नाम या अक्षर में परिवर्तन करके उसकी पहचान छिपाना;

(च) गवाह के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्ति;

(छ) कड़ी सुरक्षा, गवाह के घर के आसपास नियमित गश्त;

(ज) किसी रिश्तेदार के घर या पास के शहर में अस्थायी रूप से निवास स्थान बदलना;

(झ) न्यायालय तक ले जाने और वापस लाने के लिए अनुरक्षण तथा सुनवाई की तिथि तक सरकारी वाहन या राज्य द्वारा वित्तपोषित वाहन की व्यवस्था;

(ञ) बंद कमरे में सुनवाई आयोजित करना;

(ट) बयान और गवाही दर्ज करने के दौरान एक सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना;

(ठ) विशेष रूप से डिजाइन किए गए संवेदनशील गवाह न्यायालय कक्षों का उपयोग, जिनमें गवाह और आरोपी के लिए अलग–अलग मार्गों के अलावा लाइव वीडियो लिंक, वन–वे मिरर और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें गवाह के चेहरे की छवि को संशोधित करने और गवाह की आवाज के ऑडियो फीड को संशोधित करने का विकल्प होता है, ताकि उसकी पहचान न हो सके;

(ड) बिना किसी स्थगन के दिन–प्रतिदिन के आधार पर परीक्षण के दौरान बयानों की शीघ्र रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना;

(ढ) आवश्यकतानुसार, पुनर्वास, भरण–पोषण या नया व्यवसाय/पेशा शुरू करने के उद्देश्य से, गवाह संरक्षण निधि से गवाह को समय–समय पर वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना।

(ण) किसी अन्य प्रकार के सुरक्षा उपाय जो आवश्यक समझे जाएं।

8. निगरानी और समीक्षा :

एक बार सुरक्षा आदेश पारित हो जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्टों के संदर्भ में इसकी समीक्षा कर सकता है। यद्यपि, सक्षम प्राधिकारी गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर, तिमाही आधार पर गवाह संरक्षण आदेश की समीक्षा करेगा।

भाग–III

9. पहचान की सुरक्षाः

किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, पहचान संरक्षण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसके सदस्य सचिव के माध्यम से दायर किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव धमकी विश्लेषण रिपोर्ट की मांग करेंगे। सक्षम प्राधिकारी गवाह या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की जांच करेगा जिसे वह यह पता लगाने के लिए उपयुक्त समझे कि पहचान सुरक्षा आदेश पारित करने की आवश्यकता है या नहीं।

आवेदन की सुनवाई के दौरान, गवाह की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी, जिससे गवाह की पहचान होने की संभावना हो। तत्पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निपटारा कर सकता है।

एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाह की पहचान की सुरक्षा के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है, तो यह गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे गवाह, उनके परिवार के सदस्यों की पहचान जिसमें नाम/माता–पिता/व्यवसाय/पता/डिजिटल फुटप्रिंट शामिल हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं।

जब तक किसी गवाह की पहचान सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अन्तर्गत सुरक्षित है, गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध कराएगा जिनसे आपातकालीन स्थिति में गवाह संपर्क कर सकता है।

योजना में निहित उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, कमजोर गवाह अभियुक्त के साथ बातचीत को कम से कम करने के लिए भौतिक बाधाओं के साथ या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से विशेष अदालतों में गवाही दे सकते हैं।

भाग–IV

10. पहचान परिवर्तनः

उपयुक्त मामलों में, जहां गवाह द्वारा पहचान परिवर्तन का अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाह को नई पहचान प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकता है।

नई पहचान प्रदान करने में नया नाम/पेशा/प्रतिशत और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज प्रदान करना शामिल है। नई पहचान के कारण गवाह को मौजूदा शैक्षिक/पेशेवर/संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

भाग–V

11. गवाह का पुनःस्थापनः

उपयुक्त मामलों में, जहां गवाह की ओर से पुनःस्थापन के लिए अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाह के पुनःस्थापन के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी गवाह की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को ध्यान में रखते हुए उसे दिल्ली से बाहर, परन्तु भारत के भीतर में सुरक्षित स्थान पर पुनःस्थापन करने का आदेश पारित कर सकता है। इसका व्यय गवाह संरक्षण निधि से वहन किया जाएगा।

भाग–VI

12. गवाहों को योजना की जानकारी दी जाएगीः

दिल्ली पुलिस इस योजना का व्यापक प्रचार करेगी। जांच अधिकारी और न्यायालय इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में गवाहों को "दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2024" के अस्तित्व और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचित करेंगे।

13. अभिलेखों की गोपनीयता तथा संरक्षणः

पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय स्टाफ, दोनों पक्षों के वकील सहित सभी हितधारक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाहियों से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज या जानकारी को परीक्षण न्यायालय/अपील न्यायालयतथा वह भी लिखित आदेश पर, को छोड़कर,किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से साझा नहीं की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाहियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड उस समय तक सुरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित मुकदमा या अपील कानून के न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंतिम न्यायालय कार्यवाही के निपटान के एक वर्ष के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित रखने के बाद रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी को हटाया जा सकता है।

14. व्यय की वसूलीः

यदि गवाह ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का गृह विभाग गवाह संरक्षण निधि से किए गए व्यय की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

15. समीक्षाः

यदि गवाह या पुलिस प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो ऐसे आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह–I)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2025

F. No. 11/12/2024/HP-II/369-377.—Whereas the undersigned considers it expedient that a Witness Protection Scheme shall be implemented in National Capital Territory of Delhi for the protection of vulnerable witnesses from any kind of threat and intimidation.

And whereas the undersigned is satisfied that the circumstances exist, which render it necessary that such Witness Protection Scheme should be brought into force at once.

And now, therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred under section 398 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 notify the following scheme.

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**

(a) The Scheme shall be called **"Delhi Witness Protection Scheme, 2025"**

(b) It shall come into force from the date of Notification in the official Gazatte.

Part I

2. **DEFINITIONS:**

a) "**Sanhita**" means the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023;

b) "**Concealment of Identity of Witness**" means and includes any condition prohibiting publication or revealing, in any manner, directly or indirectly, of the name, address and other particulars which may lead to the identification of the witness during investigation, inquiry, trial and post-trial stage; the name of witness may be published only after the permission of the Competent Authority.

c) **"Competent Authority"** means a Standing Committee in each District chaired by Principal District and Sessions Judge with Head of the Police in the District as Member and Head of the Prosecution in the District as its Member Secretary.

d) **"Family Member"** includes parents/guardian, spouse, live-in partner, siblings, children, grandchildren of the witness;

e) **"Form"** means "Witness Protection Application Form" appended to this Scheme;

f) **"In Camera Proceedings"** means proceedings wherein the Competent Authority/Court allows only those persons who are necessarily to be present while hearing and deciding the witness protection application or deposing in the court;

g) **"Live Link"** means and include a live video link or other such arrangement whereby a witness, while not being physically present in the court room for deposing in the matter or interacting with the Competent Authority;

h) **"Audio-Video Electronic Means"** shall include use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and such other purposes and by such other means as the State Government may, by rules provide; (Section 2 (1) (a) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

i) **"Witness Protection Measures"** means measures spelt out in Clause 7, Part-III, Part-IV and Part V of the Scheme.

j) **"Offence"** means those offences which are punishable with death or life imprisonment or an imprisonment up to seven years and above and also offences punishable under section 74 to 79 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

k) **"Threat Analysis Report"** means a detailed report prepared and submitted by the Head of the Police in the District Investigating the case with regard to the seriousness and credibility of the threat perception to the witness or his family members. It shall contain specific details about the nature of threats faced by the witness or his family to their life, reputation or property apart from analyzing the extent, the person or persons making the threat, have the intent, motive and resources to implement the threats.

It shall also categorize the threat perception apart from suggesting the specific witness protection measures which deserves to be taken in the matter;

l) **"Witness"** means any person, who posses information or document as provided in section 2 (1) (d) Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 about any offence;

m) **"Witness Protection Application"** means an application moved by the witness in the prescribed form before a Competent Authority through its Member Secretary for seeking Witness Protection Order. It can be moved by the witness, his family member, his duly engaged counsel or Investigation Officer/Station House Officer/Sub Divisional Police Officer/Jail Superintendent concerned;

n) **"Witness Protection Fund"** means the fund created for bearing the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority under this scheme;

o) **"Witness Protection Order"** means an order passed by the Competent Authority detailing the witness protection measures to be taken.

p) **"Witness Protection Cell"** means a dedicated Cell of Delhi Police which is responsible to implement the witness protection order.

Part II

3. CATEGORIES OF WITNESS AS PER THREAT PERCEPTION:

Category 'A': Where the threat extends to life of witness or his family members, during investigation/inquiry /trial or thereafter.

Category 'B': Where the threat extends to safety, reputation or property of the witness or his family members, during the investigation/ inquiry /trial or thereafter.

Category 'C': Where the threat is moderate and extends to harassment or intimidation of the witness or his family member's, reputation or property, during the investigation/inquiry /trial or thereafter.

4. STATE WITNESS PROTECTION FUND:

(a) There shall be a Fund, namely, the Witness Protection Fund from which the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority and other related expenditure, shall be met.

(b) The Witness Protection Fund shall comprise the following:-

i) Budgetary allocation made in the Annual Budget by the State Government;

ii) Receipt of amount of costs imposed/ordered to be deposited by the courts/ tribunals in the Witness Protection Fund;

iii) Donations/contributions from Philanthropist /Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi.

iv) Funds contributed under Corporate Social Responsibility.

(c) The said Fund shall be operated by the Home Department under Government of National Capital Territory of Delhi.

5. FILING OF APPLICATION BEFORE COMPETENT AUTHORITY:

The application for seeking protection order under this scheme can be filed in the prescribed form before the Competent Authority of the concerned District where the offence is committed, through its Member Secretary along with supporting documents, if any.

6. PROCEDURE FOR PROCESSING THE APPLICATION:

(a) **As and when an application is received by the Member Secretary of the Competent Authority, in the prescribed form, he shall forthwith pass an order for calling for the Threat Analysis Report from the** Sub Division Police Officer/Assistant Commissioner of Police, in charge of the concerned Police Sub-Division.

(b) Depending upon the urgency in the matter owing to imminent threat, the Competent Authority can pass orders for interim protection of the witness or his family members during the pendency of the application. Provided that nothing shall preclude police from providing immediate protection in case of grave and imminent threat to life of applicant and his family members.

(c) The Threat Analysis Report shall be prepared expeditiously while maintaining full confidentiality and it shall reach the Competent Authority within five working days of receipt of the order.

(d) The Threat Analysis Report shall categorize the threat perception and also include suggestive protection measures for providing adequate protection to the witness or his family.

(e) While processing the application for witness protection, the Competent Authority shall also interact preferably in person and if not possible through Audio-Video electronic means as defined in Section 2 (1) (a) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 with the witness and/or his family

members/employers or any other person deemed fit so as to ascertain the witness protection needs of the witness.

(f) All the hearings on Witness Protection Application shall be held in-camera by the Competent Authority while maintaining full confidentiality.

(g) An application shall be disposed of within five working days of receipt of Threat Analysis Report from the Police Authorities.

(h) The Witness Protection Order passed by the Competent Authority shall be implemented by the Witness Protection Cell of Delhi Police or the Trial Court, as the case may be. Overall responsibility of implementation of all witness protection orders passed by the Competent Authority shall lie on Commissioner of Police, Delhi. However, the Witness Protection Order passed by the Competent Authority for change of identity and/or relocation shall be implemented by the Home Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

(i) Upon passing of a Witness Protection Order, the Witness Protection Cell shall file a monthly follow-up report before the Competent Authority.

(j) In case, the Competent Authority finds that there is a need to revise the Witness Protection Order or an application is moved in this regard, and upon completion of trial, a fresh Threat Analysis Report shall be called from the Sub Division Police Officer/ Assistant Commissioner of Police, in-charge of the concerned Police Sub Division.

7. **TYPES OF PROTECTION MEASURES:**

The witness protection measures ordered shall be proportionate to the threat and shall be for a specific duration not exceeding three months at a time. These may include:

(a) Ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation, inquiry or trial;

(b) Monitoring of mail and telephone calls;

(c) Arrangement with the telephone company to change the witness's telephone number or assign him or her an unlisted telephone number;

(d) Installation of security devices in the witness's home such as security doors, Closed Circuit Television, alarms, fencing etc;

(e) Concealment of identity of the witness by referring to him/her with the changed name or alphabet;

(f) Emergency contact persons for the witness;

(g) Close protection, regular patrolling around the witness's house;

(h) Temporary change of residence to a relative's house or a nearby town;

(i) Escort to and from the court and provision of Government vehicle or a State funded conveyance for the date of hearing;

(j) Holding of in-camera trials;

(k) Allowing a support person to remain present during recording of statement and deposition;

(l) Usage of specially designed vulnerable witness court rooms which have special arrangements like live video links, one way mirrors and screens apart from separate passages for witness and accused, with option to modify the image of face of the witness and to modify the audio feed of the witness' voice, so that he/she is not identifiable;

(m) Ensuring expeditious recording of deposition during trial on day to day basis without adjournments;

(n) Awarding time to time periodical financial aids/grants to the witness from Witness Protection Fund for the purpose of re-location, sustenance or starting a new vocation/profession, as may be considered necessary.

(o) Any other form of protection measures considered necessary.

8. **MONITORING AND REVIEW:**

Once the protection order is passed, the Competent Authority would monitor its implementation and can review the same in terms of follow-up reports received in the matter. However, the Competent Authority shall review the Witness Protection Order on a quarterly basis based on the monthly follow-up report submitted by the Witness Protection Cell.

Part -III

9. **PROTECTION OF IDENTITY:**

During the course of investigation or trial of any offence, an application for seeking identity protection can be filed in the prescribed form before the Competent Authority through its Member Secretary.

Upon receipt of the application, the Member Secretary of the Competent Authority shall call for the Threat Analysis Report. The Competent Authority shall examine the witness or his family members or any other person it deems fit to ascertain whether there is a necessity to pass an identity protection order.

During the course of hearing of the application, the identity of the witness shall not be revealed to any other person, which is likely to lead to the witness identification. The Competent Authority can thereafter, dispose of the application as per material available on record.

Once, an order for protection of identity of witness is passed by the Competent Authority, it shall be the responsibility of Witness Protection Cell to ensure that identity of such witness, his or her family members including name/parentage/occupation/ address/digital footprints are fully protected.

As long as identity of any witness is protected under an order of the Competent Authority, the Witness Protection Cell shall provide details of persons who can be contacted by the witness in case of emergency.

In line with the aforesaid provisions contained in the scheme, vulnerable witnesses may testify in special courts with physical barriers or through Video conferencing facilities to minimize interaction with the accused.

Part -IV

10. **CHANGE OF IDENTITY:**

In appropriate cases, where there is a request from the witness for change of identity and based on the Threat Analysis Report, a decision can be taken for conferring a new identity to the witness by the Competent Authority.

Conferring new identities includes new name/profession/percentage and providing supporting documents acceptable by the Government Agencies. The new identities should not deprive the witness from existing educational/ professional/ property rights.

Part -V

11. **RELOCATION OF WITNESS:**

In appropriate cases, where there is a request from the witness for relocation and based on the Threat Analysis Report, a decision can be taken for relocation of the witness by the Competent Authority.

The Competent Authority may pass an order for witness relocation to a safer place outside Delhi, but within India keeping in view the safety, welfare and wellbeing of the witness. The expenses shall be borne from the Witness Protection Fund.

Part –VI

12. **WITNESSES TO BE APPRISED OF THE SCHEME:**

Delhi Police shall give wide publicity to this Scheme. The IO and the Court shall inform witnesses in all cases covered under the Scheme about the existence of "Delhi Witness Protection Scheme, 2024" and its salient features.

13. **CONFIDENTIALITY AND PRESERVATION OF RECORDS:**

All stakeholders including the Police, the Prosecution Department, Court Staff, Lawyers from both sides shall maintain full confidentiality and shall ensure that under no circumstance, any record, document or information in relation to the proceedings under this scheme shall be shared with any person in any manner except with the Trial Court/Appellate Court and that too, on a written order.

All the records pertaining to proceedings under this scheme shall be preserved till such time the related trial or appeal thereof is pending before a Court of law. After one year of disposal of the last Court proceedings, the hard copy of the records can be weeded out by the Competent Authority after preserving the scanned soft copies of the same.

14. **RECOVERY OF EXPENSES:**

In case the witness has lodged a false complaint, the Home Department of Government of National Capital Territory of Delhi can initiate proceedings for recovery of the expenditure incurred from the Witness Protection Fund.

15. **REVIEW:**

In case the witness or the police authorities are aggrieved by the decision of the Competent Authority, a review application may be filed before the Competent Authority within 15 days of passing of such order.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.03.04 15:57:38 +05'30'